R-2137/II/05

15

न्यायालय राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 2137–दो/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 79/04–05/अपील.

———

केदार प्रसाद पुत्र लज्जाराम ब्राहम्ण
निवासी ग्राम ऐंचाया तहसील गोहद
जिला भिण्ड ——— आवेदक

विरूद्ध

1– छोटेलाल
2– विजयसिंह
पुत्रगण फोदे कुशवाह
3– फूलाबाई पत्नी स्व. पातीराम
4– चन्दन श्री पत्नी स्व. श्री देवलाल
5– बनवारीलाल
6– अन्तराम
7– रामनिवास
8– धारासिंह
9– रामविलास
पुत्रगण देवलाल
समस्त निवासीगण ग्राम ऐंचाया
तहसील गोहद जिला भिण्ड
10– म0प्र0 शासन ——— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. वाजपेई ।

अनावेदक कं. 1 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 09-3-2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 79/2004–05/अपील में पारित आदेश दिनांक 31–10–05 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व

संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक छोटेलाल द्वारा विवादित भूमि के सुधार हेतु संहिता की धारा 89 के तहत एक आवेदन विचारण न्यायालय में वेश । जिस पर से तहसीलदार प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 13–10–04 द्वारा अनावेदक का आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध उसने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 16–3–03 द्वारा निरस्त की । उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक छोटेलाल व अन्य द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य पारित किया है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में उभयपक्षों को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश करने के निर्देश दिए गए थे किंतु किसी भी पक्ष द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ यह प्रकरण नक्शा सुधार का है । प्रकरण में संहिता की धारा 89 के अंतर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष नक्शा सुधार का आवेदन पेश किया गया जो विचारण न्यायालय ने निरस्त की, इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त की । अपने आदेश में उन्होंने प्रकरण के तथ्यों की विस्तार से विवेचना करते हुए यह पाया गया है कि राजस्व निरीक्षक ने स्थल की जांच के उपरांत प्रतिवेदन दिया कि नये नक्शे में स्थिति मौके के विपरीत है । प्रकरण में यह पाया गया कि बंदोवस्त के पूर्व का खसरा पांचसाला में अन्य नंबरों का निर्माण किया जाना पाया गया किंतु ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज नहीं है जिसमें विपक्षी का पूर्व में आधिपत्य बताया गया है और उसका जो नया नंबर है वह बंदोवस्त के बाद का है जिस पर वह काबिज है । पटवारी द्वारा प्रस्तुत नंबरों की सूची में यह पाया गया कि पुराने नंबर 1326/3 का नया नंबर क्या बना उसे अंकित नहीं किया गया । इसी प्रकार ग्राम पंचायत ऐयाचा ने अपने प्रस्ताव क्र. 21 ठहराव में यह प्रस्ताव पारित किया कि मंदिर श्री रामजानकी वर्ष 97–98 में आवेदक केदार प्रसाद शर्मा द्वारा बनाया गया जिसमें शासन की कोई भागीदारी नहीं है और मंदिर के नाम उसने 7 बीघा जमीन स्वयं की मंदिर के नाम की जिसमें सर्वे नं. 985 रकबा 0.86 तथा सर्वे न. 986 रकबा 0.76 शामिल है । अपर

आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि बंदोवस्त के दौरान मौके पर स्थल के विपरीत नक्शा बनाया गया है जिसमें सुधार की आवश्यकता है और उन्होंने ग्राम पंचायत ऐंचाया द्वारा तथा आवेदक ारा बंदोवस्त के पूर्व के कोई खसरा पांचसाला अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने तथा यह सिद्ध न किए जाने के कारण कि वह बंदोवस्त के पूर्व किस सर्वे नंबर की भूमि का स्वामी था तथा द्वारा अपने व नये नंबर बनाए गए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय को राजस्व निरीक्षक भू–प्रबंधन एम.एस. मौर्य के प्रस्ताव मुताबिक नक्शे में सुधार कर पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश दिए हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर